भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत राज्य की सरकार के बीच वर्ष 2006–2008 हेतु सांस्कृतिक और सूचना आदान–प्रदानों का कार्यकारी कार्यक्रम

सांस्कृतिक सहयोग की प्रगति के निष्पादन में, और भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत राज्य की सरकार, जिन्हें आगे 'पक्ष' कहा गया है, नवम्बर, 1970 में किए गए सांस्कृतिक करार को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2006–2008 हेतु निम्नलिखित कार्यकारी कार्यक्रम पर सहमत हैं।

प्रथम : संस्कृति और कला

1. भारतीय पक्ष, इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान आयोजित किए जाने वाले ''इण्डियन ट्रायनले'' में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति, कला और साहित्य परिषद को आमंत्रित करेगा। कुवैत से प्रतिनिधिमण्डल में एक आयुक्त और एक भागीदार कलाकार आ सकते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति, कला और साहित्य परिषद ट्रायनले–इण्डिया के साथ–साथ आयोजित की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कलाकार कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। इसके ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर परामर्श से तय किए जाएंगे।

2. राष्ट्रीय संस्कृति, कला और साहित्य परिषद, समकालीन कला की प्रदर्शनी प्रस्तुत करने के लिए भारतीय ललित कला अकादमी को आमंत्रित करेगी जिसके साथ विधिवत् रूप से अकादमी के आयुक्त/अधिकारी जाएंगे। ललित कला अकादमी, कुवैत की रचनात्मक कला प्रदर्शनी प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति, कला और साहित्य परिषद को आमंत्रित करेगी जिसके साथ राष्ट्रीय संस्कृति, कला और साहित्य के अधिकारी आएंगे। इसके ब्यौरे, राजनयिक चैनलों के माध्यम से तय किए जाएंगे।

3. पक्ष, विशेषतः राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण, पाण्डुलिपियों तथा प्रलेखनों के क्षेत्रों में अनुभव विकसित करने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालय में कुछेक विशेषज्ञों का आदान–प्रदान करेंगे।

4. पक्ष, विशिष्ट फोटोग्राफी प्रतिनिधिमण्डल हेतु सुविधाएं प्रदान करेंगे।

5. पक्ष, अपने–अपने देश के विनियमों के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकाशनों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, विवरणिकाओं, अनुसंधानों, अध्ययनों, ग्रन्थ–सूचियों, पाण्डुलिपियां टेपों तथा ऐसी प्रत्येक वस्तु जो दोनों देशों में इतिहास, सभ्यता, कला तथा सांस्कृतिक संबंधी पहलुओं को प्रस्तुत करने में सहायक हो, के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

6. पक्ष, दोनों देशों में वार्षिक आधार पर आयोजित होने वाले पुस्तक मेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

7. पक्ष, पुस्तकालय और सूचना के क्षेत्रों में पारस्परिक हित के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

8. पक्ष, बाल कला समूहों के दौरों का आदान–प्रदान करेंगे और भावी पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक उत्सव में भारतीय बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे, जो कुवैत में वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है।

9. भारतीय पक्ष, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कुवैत में रंगमंच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और कुवैत के रंगमंच विशेषज्ञों से भेंट करने के लिए एक रंगमंच शिक्षक/निर्देशक भेजेगा।

10. पक्ष, दोनों देशों में बाल पुस्तकालयों से सम्बद्ध अनुभवों, सूचना व दौरों का आदान–प्रदान करेंगे।

11. कुवैत से बच्चों को शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और कुवैती पक्ष, कुवैत में बाल चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए भारतीय पक्ष को आमंत्रित करेगा।

12. पक्ष, अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए सेमिनारों या सम्मेलनों में भाग लेने के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र से एक या दो विद्वानों का आदान–प्रदान करेंगे। इसके ब्यौरे राजनयिक चैनलों से तय किए जाएंगे।

13. पक्ष, इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान एक बार अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के लिए अधिकतम 15 सदस्यों की संगीत/नृत्य मण्डलियों का आदान–प्रदान करेंगे।

14. दोनों पक्ष, एक–दूसरे के देश में सांस्कृतिक सम्पत्तियों के संरक्षण/परिरक्षण संबंधी जानकारी बाँटने के उद्देश्य से 10 दिन की अवधि के लिए दो पुरातत्व रसायनविदों/पुरातत्वविदों के दौरों का आदान–प्रदान करेंगे।

15. दोनों पक्ष, मंच कलाओं, लोक साहित्य, परम्पराओं, इन कलाओं के फोटोग्राफों तथा प्रकाशनों की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंगों का आदान–प्रदान करेंगे।

16. दोनों पक्ष, प्रकाशनों, सूची–पत्रों, पुस्तकों आदि के आदान–प्रदान के अलावा, दो सप्ताह की अवधि के लिए सजावटी कलाओं का अध्ययन करने के लिए एक–एक विशेषज्ञ का आदान–प्रदान करेंगे।

17. रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर, भारत से दो विशेषज्ञ दर–अल–अतहर–इस्लामिया का दौरा कर सकते हैं। इसी प्रकार कुवैत से दो विशेषज्ञ पारस्परिक शैक्षिक लाभ और दोनों देशों के लोगों के बीच बेहतर समझ–बूझ के उद्देश्य से दो सप्ताह की अवधि के लिए रामपुर रज़ा पुस्तकालय और इसके संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं।

द्वितीय : सूचना और प्रसारण

18. दोनों पक्ष सूचना सप्ताहों का आदान–प्रदान करेंगे।

19. दोनों पक्ष, पुस्तकों और दूसरे पक्ष द्वारा जारी की गई सूचनाप्रद विवरणिकाओं के प्रवेश और परिचालन को अपने राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार सुविधा प्रदान करेंगे।

20. दोनों पक्ष संवाददाताओं और सूचना शिष्टमंडलों के लिए सुविधाएँ प्रदान करेंगे।

21. दोनों पक्ष, एक–दूसरे की संस्कृति की बेहतर समझ के लिए टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों का आदान–प्रदान करेंगे और राष्ट्रीय अवसरों पर इन कार्यक्रमों का आदान–प्रदान करेंगे।

तृतीय : विविध

22. इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए किन्हीं अतिरिक्त प्रस्तावों पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से विचार किया जाएगा। मौजूदा कार्यक्रम राजनयिक चैनलों के माध्यम से आयोजित, कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के किसी अन्य कार्यक्रम को प्रतिबाधित नहीं करता।

23. अनुबंध में दिए गए, सामान्य और वित्तीय शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रावधान इस कार्यक्रम के अभिन्न अंग होंगे।

24. सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू होगा और 2008 के अंत तक वैध रहेगा तथा तत्पश्चात् यह अगले कार्यक्रम के होने तक अनंतिम रूप से लागू रहेगा।

इस करार पर नई दिल्ली में दिनांक 15 जून, 2006 को हिन्दी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं की दो–दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए और ये सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। तथापि, किसी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	**कुवैत राज्य की सरकार की ओर से**
नाम :	**नाम :**
पदनाम :	**पदनाम :**

सामान्य एवं वित्तीय प्रावधान

व्यक्तियों/शिष्टमण्डलों/प्रदर्शनियों का आदान–प्रदान :

प्रथम : सामान्य प्रावधान

(क) दोनों पक्ष, आपसी विचार–विमर्श के द्वारा व्यक्तियों अथवा शिष्टमण्डलों के आदान–प्रदान का ब्यौरा तैयार करेंगे।

(ख) दोनों पक्ष, एक–दूसरे के देशों द्वारा भेजे गए शिष्टमण्डलों और व्यक्तियों को आवास, आतंरिक यात्रा, स्थानीय परिवहन, भोजन तथा आकस्मिक बीमारी के मामले में चिकित्सा उपचार आदि सुविधाएँ प्रदान करेंगे।

1. प्रदर्शनियों का आदान–प्रदान

(क) प्रेषक देश प्रस्तावित प्रदर्शनियों के ब्यौरों के सम्बंध में मेज़बान देश को सूचित करेगा।

(ख) सम्बंधित सूची–पत्र के विस्तार हेतु आवश्यक सूचना, उद्घाटन तिथि से तीन माह पहले अवश्य भेज दी जानी चाहिए।

(ग) प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री, प्रदर्शनियों के आरम्भ होने से 10 दिन पहले गंतव्य स्थल तक अवश्य पहुँच जानी चाहिए।

(घ) प्रदर्शनी के सम्बंध में प्रेषक पक्ष और मेज़बान पक्ष के बीच पृथक् करार किया जाएगा।

2. सामग्रियों का आदान–प्रदान :

सामग्रियों का आदान–प्रदान संविदाकारी पक्षों के बीच परस्पर विचार–विमर्श के बाद किया जाएगा।

द्वितीय : वित्त

व्यक्तियों और विद्वानों का आदान–प्रदान :

जब तक वर्तमान कार्यक्रम में शामिल संस्थाएँ अन्यथा निर्णय न लें, निम्नलिखित विनियम प्रभावी होंगे :–

(क) प्रेषक पक्ष सभी मामलों में आने जाने के हवाई किराए की लागत वहन करेगा।

(ख) मेज़बान देश, खान–पान व ठहरने का व्यय, आंतरिक यात्रा के साथ–साथ आपातकालीन चिकित्सा व्यय वहन करेगा।

कलाकारों, शिक्षाविदों और प्रदर्शनी आदि के साथ जाने वाले व्यक्तियों के दौरे के मामले में, जब तक विशेष रूप से उल्लेख न हो, प्रेषक पक्ष आने–जाने के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का किराया तथा मेज़बान पक्ष सामान्य प्रावधान में दिए गए ब्यौरे के अनुसार स्थानीय आतिथ्य के व्यय का वहन करेगा।